उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

अधिनियम - 2005

UTTARAKHAND STATE COMMISSION FOR WOMEN

Act - 2005

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

निकट नन्दा चौकी, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, देहरादून

Near Nanda ki Chowki, Suddhowala, Premnagar, Dehradun

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 616/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 11 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल, ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 पर दिनांक 9 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 2005)

राज्य महिला आयोग का गठन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत हो।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों।

(क) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अभिप्रेत है।

(ख) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है: और उसके अन्तर्गत सदस्य– सचिव भी है।

(ग) "नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गों से नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं जो उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 2002 में परिभाषित है।

(घ) "महिला" के अन्तर्गत बालिका या किशोरी भी है।

अध्याय-2
राज्य महिला आयोग

राज्य महिला आयोग का गठन

3. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।

(2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:–

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की उपाधि किसी विधा में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो:

(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो उपाध्याय प्रत्येक मण्डल से एक–एक, जिन्हें महिलाओं के उत्थान और कल्याण के कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो, और जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। नाम–निर्दिष्ट उपाध्यक्ष पदो के लिए दो अन्य महिलाओं में से एक महिला सामान्य वर्ग तथा एक आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग) की होगी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट 18 सदस्य, प्रत्येक जनपद में से कम से कम एक, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो, और जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो:

परन्तु उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा:।

पदेन सदस्य (घ) मुख्य सचिव तथा डी०जी०पी० राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य–सचिव, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और जो राज्य की किसी सिविल सेवा, या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो, या राज्य के अधीन कोई सिविल पद, समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तो

4\. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेंगे।

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की आयु पद धारण करते समय कम से कम 35 वर्ष और सदस्य की आयु पद धारण करते समय कम से 25 वर्ष होनी चाहिए।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य (सदस्य–सचिव को छोड़कर) राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेंगी।

(4) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाती है:

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरायी और कारावास से दण्डित की जाती है जिसमें राज्य सरकार

की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है:

(ग) विकृत चित्त की हो जाती है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषित कर दी जाती है:

(घ) कार्य करने से इंकार करती है या कार्य करने में अक्षम हो जाती है:

(ड) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहती है: या

(च) राज्य सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बने रहना लोग हित के लिए हानिकारक हो गया है या ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहना अन्यथा अनुपयुक्त या अंसगत है: परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि उसे इस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) उपधारा (4) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्त को नये नाम–निर्देशन द्वारा भरा जायेगा तथा इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति के पद की शेष अवधि तक पद धारण करेगा जिसकी रिक्ति पद ऐसे व्यक्ति को नाम–निर्दिष्ट किया गया है।

(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी

5. (1) राज्य सरकार, आयोग के लिए एक विधि विशेषज्ञ तथा दो परामर्शदात्रियों सहित ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य–सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें व होंगी, जो विहित की जाएं।

वेतन और भत्तों का अनुदान में से किया जाना

6 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्तें तथा प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट सदस्य–सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जाएगा।

रिक्तयों आदि से आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, आयोग में कोई रिक्त विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही अविधिमान्य नहीं होगी।

8. (1) आयोग जब भी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा।

(2) आयोग अपनी एवं अपनी समितियों की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करगा।

(3) आयोग की सभी कार्यवाही अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही अधिप्रमाणित की जांएगी।

(4) आयोग द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार विशेष मामलों के निष्पादन हेतु समितियॉ के सदस्य के रूप में आयोग को ऐसे व्यक्तियों को, जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, उतनी संख्या में जितनी वह उचित समझें, सहयोजित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित रहने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(5) इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्तें प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किये जाए।

अध्याय-3
आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्ही कृत्यों का पालन करेगा, अर्थातः–

(क) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना:

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, रिर्पोट देना:

(ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिर्पोट में राज्य सरकार को सिफारिश करना:

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबन्धों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सकें।:

(ड) महिलाओं से सम्बन्धित संविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना:

(च) निम्नलिखित से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना:–

(एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन:

(दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए

अधिनियमित विधियों के अक्रियान्वयन:

(तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध करवाने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना:

(छ:) महिलाओं के विरूद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सकें:

(ज) संवर्धन और शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे–आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं की प्रौद्योगिकी की अप्रर्याप्तता:

(झ) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना:

(ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्याकंन करना:

(ट) किसी जेल, सुधारगृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहॉ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, उपचारी कार्यवाही के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत करना:

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से

सम्बन्धित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना:

(ड) सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से, जिसमें बाल विवाह, दहेज, बलात्कार, अपहरण, छेडछाड और महिलाओं के अनैतिक व्यापार से सम्बन्धित अपराध भी सम्मिलित हैं। प्रसव करने या नसबंदी या प्रसव या शिशु जन्म में चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों से, सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन करना:

(ढ) महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार से सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए सृजित राज्य पुलिस प्रकोष्ठ या सम्भागीय पुलिस प्रकोष्ठों से समन्वय करना। सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनमत तैयार करना, जिससे ऐसे अत्याचारों के अपराधों की तेजी से खबर देने और उनका पता लगाने और अपराधी के विरूद्ध वातावरण तैयार करने में सहायता दी जा सके।

(ण) अपने कृत्यों के पालन में धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन की सहायता लेना:

(त) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करें

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के समक्ष, आयोग की रिर्पोट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन भी रखवाएगी।

(3) किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियाँ आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त होंगी, अर्थातः–

(क) राज्य के किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना:

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना:

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना:

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना:

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना:

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अध्याय-4
वित्त, लेखे और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

10. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए ठीक समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि जैसी वह ठीक समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी धनराशि का उपधारा (1) निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय माना जाएगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

11. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में जैसा विहित किया जाए, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा, निदेश, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी।

वार्षिक रिर्पोट
वार्षिक रिर्पोट और लेखा परीक्षा रिर्पोट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय

वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों को पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिर्पोट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

13. राज्य सरकार रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उनमें दी गयी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिर्पोट और लेखा परीक्षा रिर्पोट विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय-5
प्रकीर्ण

आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य अधिकारी और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना

14. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।

राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

15. राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

स्वैच्छिक संगठनों

16. (1) महिलाओं के कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा कोई स्वैच्छिक संगठन, जो आयोग को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने का इच्छुक हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए आयोंग को विहित रीति से आवेदन कर सकेगा।

(2) आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व, भूमिका और उपयोगिता के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ऐसे संगठन को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, रजिस्टर कर सकेगा।

(3) आयोग, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सूची किसी न्यायालय, प्राधिकारी, या व्यक्तिगत को उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसे न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए।

(4) आयोग, किसी संगठन का रजिस्ट्रीकरण, संगठन की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से रद्द कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन आयोग का विनिश्चय का अंतिम होगा।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही की संरक्षण

17. किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधो के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए आशायित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

18. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेंगे, अर्थातः–

(क) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्य–सचिव, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें:

(ख) धारा 9 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय।

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा–12 के अधीन वार्षिक रिर्पोट तैयार की जाएगी।

(घ) अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए विहित किये जाने वाली फीस।

(ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाए या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम

बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा। यदि विधान सभा उस नियम में कोई परिर्वतन करने के लिए सहमत हो तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा किन्तु ऐसे परिवर्तित होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाईयों को दूर कर सकती है: परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 02 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृति

20. (1) उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन समझी जायेगी।

आज्ञा से,

यू.सी.ध्यानी,
सचिव